## श्री जय राज, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में दि0 23.09.2020 को मंथन सभागार में आयोजित उत्तराखण्ड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) की कार्यकारी समिति की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

### उपस्थिति सदस्यों/प्रतिनिधियों का विवरण :

1. सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण।
2. श्री जे0एस0 सुहाग, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
3. श्री विनीत पांगती, अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन।
4. श्री वी0के0 यादव, अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री राजकुमार, संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग (नियोजन/वित्त) प्रतिनिधि–अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री सुरेश चन्द्र जोशी, अपर सचिव, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री बी0एम0 मिश्रा, अपर सचिव–राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री मनोज कुमार तिवारी, डी0पी0आर0ओ0, प्रतिनिधि–अपर सचिव–पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री वी0के0 यादव, अंपर सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
10. श्री जे0सी0 जोशी, वित्त नियंत्रक, वन विभाग।
11. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, जनजाति मामलों के विशेषज्ञ/जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि।
12. श्री संतोष रावत, प्रतिनिधि उज्जवला, गैर सरकारी संगठन, कोटद्वार।
13. श्री जे0एस0 सुहाग, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए प्रत्येक सदस्य का परिचय कराया गया। तदोपरान्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि कार्यकारी समिति तृतीय बैठक दिनांक 20.12.2019 को सम्पन्न हुई थी। कैम्पा के नये प्राविधानों के तहत कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जानी है। किन्तु कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन होने तथा कार्यालयों में कार्मिकों की पूर्ण उपस्थिति न होने के कारण चतुर्थ बैठक के आयोजन में विलम्ब हुआ है।



3/10/20

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा एजेण्डावार बैठक की कार्यवाही निम्नप्रकार प्रारम्भ की गई :–

कार्यसूची कार्यकारी समिति 4.1:

दिनांक 20.12.2019 को सम्पन्न हुई तृतीय कार्यकारी समिति की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि एवं अनुपालनः

मुख्य कार्यकारी अंधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा दिनांक 20.12.2019 को आयोजित कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त अनुसार लिए गये निर्णयों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या समिति के सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची कार्यकारी समिति 4.2: वित्तीय वर्ष 2019–20 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष उपलब्धि

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना ₹ 20310.51 लाख के सापेक्ष दिनांक 31.03.2020 तक अवमुक्त धनराशि ₹ 15384.57 लाख के सापेक्ष ₹ 12328.20 लाख के व्यय की प्रगति (80 प्रतिशत) से समिति को अवगत कराया गया। सदस्यों को वर्ष 2019–20 में क्रियान्वयन अभिकरणों को घटकवार अवमुक्त धनराशि व उसके सापेक्ष व्यय की स्थिति से निम्नानुसार अवगत कराया गया :–

धनराशि लाख ₹ में

| | क्षतिपूरक वनीकरण | कैट प्लान | एन0पी0वी0 | अन्य | कुल योग |
|---|---|---|---|---|---|
| कार्ययोजना का आकार | 4430.00 | 1870.00 | 13195.10 | 815.41 | 20310.51 |
| अवमुक्त धनराशि | 4224.66 | 1864.84 | 8485.48 | 809.58 | 15384.57 |
| व्यय | 3781.03 | 1815.90 | 6096.01 | 638.39 | 12328.20 |
| अवमुक्त के सापेक्ष व्यय % | **89** | **94** | **72** | **79** | **80** |

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यों को कैम्पा का मुख्य कार्य, वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के सापेक्ष भारत सरकार की शर्तानुसार क्षतिपूरक वनीकरण को किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए वर्ष 2019–20 के अंतर्गत किए गये कुल 3175 है0 वनीकरण कार्य तथा 2550 है0 अग्रिम मृदा कार्य की प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही समिति अवगत हुई कि कैम्पा स्थापना से वर्ष 2019–20 तक कुल 33944 है0 के लक्ष्यों के सापेक्ष 24908.57 है0 क्षतिपूरक वनीकरण कार्य सम्पादित किया गया है। वर्ष 2019–20 के उपरान्त लगभग 9000 है0 बैकलॉग शेष है, जिसे आगामी 2 वर्षों में पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है।

उक्त के अतिरिक्त समिति के समक्ष वर्ष 2019–20 के अंतर्गत विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा सम्पादित कार्यों यथा–मृदा एवं जल संरक्षण कार्य, पिरूल चैकडैम, कन्टूर ट्रेन्चों का निर्माण, वाटर होल्स का निर्माण, बन्दरों की समस्या से निपटने के लिए बनाए जा रहे रेस्क्यू सेण्टर्स तथा विभिन्न प्रभागों के अंतर्गत बनाए गये हाथी रोधी दीवार तथा सोलर फेन्सिंग के कार्यों का प्रस्तुतीकरण भी किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि 29 अगस्त, 2019 को भारत सरकार द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के तहत उत्तराखण्ड राज्य के राज्यांश की ₹ 2675.09 करोड़ की धनराशि को नवगठित उत्तराखण्ड कैम्पा निधि (उत्तराखण्ड शासन में खोले गये सिविल डिपोजिट खाते) में हस्तान्तरित किया गया था, जिसका संचालन प्रारम्भ नहीं हुआ था। साथ ही वित्तीय वर्ष के अन्त तक भारत सरकार के विभिन्न पत्रांकों के माध्यम से पूर्व में कैम्पा निधि में गतवर्षों की उपलब्ध/अवशेष धनराशि से स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना की विभिन्न गतिविधियों को सम्पादित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए थे।

उपरोक्त तालिका में वर्ष 2019–20 में अवमुक्त धनराशि व उसके सापेक्ष व्यय में अन्तर का कारण यह रहा कि वर्ष 2019–20 की स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष नमामि गंगे परियोजना हेतु प्राविधानित ₹ 3600.00 लाख के सापेक्ष उन्हें ₹ 1919.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, किन्तु उनके द्वारा इस मद में धनराशि विभाग के अन्य स्रोतों से प्राप्त होने के कारण उनके द्वारा कैम्पा से अवमुक्त धनराशि को वापस लौटाया गया था।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपेक्षा की गई कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्ण प्रयास किया जाए कि कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शत–प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो।

3/10

कार्यसूची कार्यकारी समिति 4.3 वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गई धनराशि व उसके सापेक्ष अद्यतन प्रगति:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2020–21 हेतु संचालन समिति द्वारा कुल ₹ 22856.00 लाख की कार्ययोजना को स्वीकृत कर अन्तिम अनुमोदन हेतु राष्ट्रय कैम्पा की कार्यकारी समिति को प्रेषित किया गया था, जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है :–

| क्षतिपूरक वनीकरण | अन्य विशिष्ट कार्य | कैट प्लान | एन0पी0वी0 | अर्जित ब्याज | कुल योग (लाख ₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5575 | 1443 | 3000 | 11838 | 1000 | 22856 |

वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 22509.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है । कतिपय गतिविधियां जिनकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा नहीं दी गयी है, उनका विवरण निम्न प्रकार है :–

- वन्यजीव पशुचिकित्सा चिकित्सालय का निर्माण (देहरादून)
- कुम्भ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु वाहन किराये पर लेना
- ट्रेनिंग सेंटर का सुदृढ़ीकरण
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (आतंरिक)

उपरोक्त धनराशि की स्वीकृति बचनबद्ध/महत्वपूर्ण कार्यों यथा–क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान, अन्य स्थल विशिष्ट गतिविधियों, प्राकृतिक पर्यावास सुधार (लैन्टाना उन्मूलन) तथा एन0पी0वी0 की वनीकरण तथा अन्य विभिन्न कार्यों हेतु प्रदान की गई है।

भारत सरकार से वर्ष 2020–21 हेतु प्राप्त स्वीकृति के सापेक्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को उपरोक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु अब तक कुल ₹ 14935.23 लाख की धनराशि प्रभागों को अवमुक्त कर दी गई है, जिसके सापेक्ष प्रभागों द्वारा दिनांक 22–09–2020 तक कुल ₹ 3388.09 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है । वर्तमान में कार्ययोजना से सम्बंधित कार्य गतिमान है व लक्ष्यों को 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना है।

स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत वर्ष 2020–21 हेतु सम्पादित किए जाने वाले/जा रहे कार्यों का पूर्ण विवरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत मुख्य–मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

3/10

- ₹ 5575.00 लाख की धनराशि से क्षतिपूरक वनीकरण मद में 2550 है० वनीकरण, 3162 है० अग्रिम मृदा कार्य, पौध उगान व अनुरक्षण आदि कार्यों के सापेक्ष कुल ₹ 2610.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसके सापेक्ष 2550 है0 वनीकरण कार्य कर लिया गया है व वर्षाकाल उपरान्त अग्रिम मृदा कार्य किया जाना शेष है।

- पूर्व के वर्षों के अनुभव/परिणाम को देखते हुए इस वर्ष मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड की विशेष महत्वपूर्ण योजना 'मृतप्राय नदियों का पुनर्जीवन' पर विशेष ध्यान देते हुए कोसी के अतिरिक्त क्षिप्रा, खोह, व न्यार नदियों के पुनर्जीवन हेतु ₹ 600.00 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए मृदा एवं जल संरक्षण मद के अंतर्गत ₹ 1500.00 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है, जिसके सापेक्ष अब तक कुल ₹ 1275.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

- देहरादून में लच्छीवाला के अन्तर्गत प्रकृति अनुभूति केन्द्र/नेचर वन की स्थापना हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि से कार्य सम्पादित कराए जा रहे हैं।

- केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के दृष्टिगत नर्सरी स्थापना (यथा–ब्रह्म कमल प्रजाति) हेतु ₹ 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

- ₹ 3000.00 लाख की धनराशि से प्रदेश में संचालित 9 कैट प्लानों के अंतर्गत अनुमोदित डी0पीआर0 अनुसार विभिन्न कार्य सम्पादित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में पूर्व में संचालित कैट प्लानों के अतिरिक्त नैनीताल वन प्रभाग के अंतर्गत जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के कैट प्लान को भी सम्मिलित करते हुए उसमें कार्य प्रारम्भ किया गया है।

- वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु ₹ 200.00 लाख की धनराशि को सम्मिलित करते हुए वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण, वृक्षारोपण, चारागाह विकास, प्रशिक्षण आदि हेतु कुल ₹ 800.00 लाख की प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष ₹ 561.53 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है, जिसमें कार्य गतिमान है।

- वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत सोलर फेन्सिंग, हाथियों की कॉलर आई0डी0, सुरक्षा दीवार आदि विभिन्न गतिविधियों में प्रस्तावित ₹ 1090.00 लाख के सापेक्ष पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।



3/10/20

- संरक्षित क्षेत्रों से लगें ग्रामीण क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम हेतु 135 ईको विकास समितियों तथा VVWPF का सुदृढ़िकरण व क्षमता विकास कार्य हेतु ₹ 375.00 लाख की धनराशि प्राविधानित।

- ₹ 300.00 लाख की धनराशि से वन एवं वन्यजीव अनुसंधान सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है।

- ₹ 800.00 लाख की धनराशि से 80 वन रक्षक चौकियों/पैट्रोलिंग शेल्टरों का निर्माण तथा 12 वॉच टावरों के निर्माण हेतु ₹ 100.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसमें कार्य गतिमान है।

उपरोक्त के अंतर्गत सम्पादित मुख्य–मुख्य कार्यों के फाटोग्राफ्स भी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गये। सदस्यों को अवगत कराया गया कि गतवर्षों की भांति इस वर्ष भी मृदा एवं जल संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं के निर्माण से लगभग 7 करोड़ लीटर जल संग्रहण क्षमता विकसित किए जाने का अनुमान है। प्रमुख वन संरक्षक महोदय द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि गतवर्षों में जंगली जानवरों से सुरक्षा हेतु निर्मित सुअर/हाथी रोधी सोलर फेन्सिंग के कार्यों की मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भी सराहना की गई है। अतः इस वर्ष भी सोलर फेन्सिंग का कार्य और अच्छे ढंग से सम्पादित कराया जाए। इसका निर्माण तकनीकी रूप से इस प्रकार से किया जाए कि वन्य जीव आबादी की ओर न आ पाएं।

वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत स्वीकृत गतिविधियों को अनिवार्य रूप से वित्तीय वर्ष के अंतर्गत पूर्ण गुणवत्ता के साथ सम्पादित किया जाए। प्रभागों के नियंत्रक अधिकारी नियमित रूप से कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

<u>कार्यसूची कार्यकारी समिति 4.4 वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना में अनुपूरक बजट के प्रस्तावों का अनुमोदन:</u>

अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया कि दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में कैम्पा की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा अपना अभिमत दिया गया था कि विभाग में वानिकी सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, यथा–अग्रिम मृदा कार्य, वनीकरण, अनुरक्षण में नर्सरी वाचर तथा वनाग्नि के समय फायर वाचर आदि विभिन्न गतिविधियां सम्पादित होती हैं, ऐसे में वहां के स्थानीय नागरिकों/ग्रामवासियों को सीजनल गतिविधियों में engage किया जा सकता है। वर्तमान में कोविड–19 के कारण कई स्थानीय युवक महामारी के सामान्य होने की प्रतीक्षा में आजीविका के साधनों के अभाव में अपने–अपने घरों में हैं, अतः ऐसे में विभाग की वानिकी

सम्बन्धी उपरोक्त विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में इन्हें नियमित कार्मिकों के अतिरिक्त सहयोग के रूप में दैनिक/अनियमित श्रमिकों की भांति वन प्रहरी के रूप में इनसे कार्य लिया जा सकता है जिससे एक ओर विभाग के कार्य समयान्तर्गत पूर्ण होंगे, वहीं दूसरी ओर स्थानीय नागरिकों/प्रवासी युवाओं को सीजनल आजीविका के साधन भी उपलब्ध होंगे।

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उपरोक्त बैठक में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये कि राज्य में वन एवं वन्य जीवों के विकास व संवर्द्धन तथा राज्य की भौगोलिक परिस्थिति व इसके विकास के दृष्टिगत वर्ष 2020–21 की वार्षिक कार्ययोजना में निम्नानुसार विभिन्न गतिविधियों को अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के रूप में सम्मिलित करते हुए इसमें नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

1. **भराड़ीसैण, खिर्सू, लच्छीवाला, जयहारीखाल, सिमतोला, हल्द्वानी, बुरांसखण्डा व रिखोली में नेचर वन/ईको पार्क का निर्माण**, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत बुग्याल संरक्षण एवं मूथूगाड़ रिवर पुनर्जनन हेतु प्राविधान।
2. वानिकी सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों में नियमित कार्मिकों के सहयोगार्थ व वनाग्नि की रोकथाम व सुरक्षा के दृष्टिगत 10000 वन प्रहरियों की सीजनल तैनाती।
3. प्रदेश में बढ़ती बन्दर जनित समस्या के निवारण/नियंत्रण हेतु गढ़वाल तथा कुमांऊ जोन में कुल 04 वानर रेस्क्यू सेण्टर का निर्माण/पिंजरों का क्रय तथा बन्दरों को पकड़ने व ढुलान सम्बन्धी प्राविधान।
4. वन्य जीवों से खेती की सुरक्षा के दृष्टिगत वन क्षेत्रों से लगे संवेदनशील ग्रामों में (कुमांऊ जोन–50 व गढ़वाल जोन–50) जंगली सुअर रोधी दीवार निर्माण कार्य।
5. वन्य जीवों से खेती व जानमाल से सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगती सीमाओं पर सोलर फेन्सिंग, हाथी दीवार व खाई खुदान कार्य ।
6. मानव वन्य जीव रोकथाम के दृष्टिगत कार्बेट टाईगर रिजर्व में वन्य जीव रेस्क्यू सेण्टर की स्थापना, विभिन्न प्रभागों में प्राकृतिक पर्यावास सुधार कार्य के अंतर्गत लैण्टाना उन्मूलन कार्य, वन मार्गों का रखरखाव, वन रक्षक चौकियों/वॉचटावरों का निर्माण तथा सोलर लाइट, कैमरा ट्रैप व अन्य उपकरणों का क्रय।
7. मृतप्राय नदियों के पुनर्जीवन के दृष्टिगत प्रदेश के अंतर्गत खोह, गण्डक, हेवल, गहड़ क्षेत्र, मालन, गरूड़ गंगा, रायगाड़ (यक्षावति) आदि का पुनर्जनन व उपचार कार्य।
8. उच्च हिमालय क्षेत्रों में बुग्यालों का संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण एवं संवर्द्धन, बांज के वनों के संवर्द्धन हेतु सिल्वीकल्चर कार्य तथा ए0एन0आर0 कार्य।
9. स्थल विशिष्ट कार्यों के लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत अग्रिम मृदा व वनीकरण कार्य तथा कैट प्लानों का क्रियान्वयन।



3/10/20

10. वन एवं वन्य जीव संरक्षण सम्बन्धी जागरूकता का संचार करने हेतु स्कूली छात्र–छात्राओं को इससे जोड़ते हुए विभिन्न स्कूलों में ईको–क्लब स्थापित किया जाना।

मा0 मुख्यमंत्री जी के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में विभिन्न जोनल/क्रियान्वयन अभिकरणों के स्तरों से प्राप्त प्रस्तावों को सम्मिलित कर समिति के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :–

वर्ष 2020–21 के अंतर्गत अनुपूरक वार्षिक कार्ययोजना के प्रस्ताव

| निबल वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां | | |
|---|---|---|
| एन0पी0वी0 का न्यूनतम 80% | | रु0 लाख में |
| 1. | वनों में वन एवं वन्य जीवों की **सुरक्षा**, विभिन्न वानिकी कार्यों में नियमित कार्मिकों के सहयोगार्थ **10000 वन प्रहरियों की सीजनल तैनाती (रू0 4000.00 लाख)** व पंचायती वनों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु 1400 संख्या वनाग्नि सुरक्षा सामग्री/किट की आपूर्ति **(रू0 160.00 लाख)** | 4180.00 |
| 2. | **प्रदेश में बढ़ती बंदर जनित समस्या के निवारण/नियंत्रण** हेतु गढ़वाल मण्डल में चिड़ियापुर **(हरिद्वार** वन प्रभाग) व **बद्रीनाथ/केदारनाथ** वन प्रभाग तथा कुमाऊं मण्डल में दानी बंगर **(तराई पूर्वी** वन प्रभाग, हल्द्वानी) व **अल्मोड़ा** वन प्रभाग में कुल 04 वानर रेस्क्यू सेंटर / ट्रांजिट रेस्क्यू सेंटरों का निर्माण, पिजरों का क्रय, बंदरों को पकड़ने, ढुलान, खानपान आदि | 1930.00 |
| 3. | **जंगली जानवरों से खेती की सुरक्षा** के दृष्टिगत गढ़वाल तथा कुमाऊ क्षेत्रों के 50–50 गांवों सहित कुल 100 गांवों में वनों से लगती सीमाओं पर 125 कि0मी0 **जंगली–सूअर रोधी दीवार का निर्माण** | 2558.11 |
| 4. | वन्यजीवों से खेती की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगती वन सीमाओं पर 50 कि0मी0 **सोलर फेंसिंग** का निर्माण | 534.96 |
| 5. | वन्यजीवों से खेती व जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगती वन सीमाओं पर 13 कि0मी0 **हाथी रोधी दीवार** का निर्माण | 1222.36 |
| 6. | वन्यजीवों से खेती व जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लगती वन सीमाओं पर 250 कि0मी0 **हाथी रोधी खाईयों का खुदान** | 389.44 |



3/10/20

| | | |
|---|---|---|
| 7. | प्रदेश के अंतर्गत वर्षा जल संग्रहण, नदी/नाला उपचार कार्य, व प्रदेश की विभिन्न मृतप्राय नदियों खोह, गंडक, हेवल, गहड़ क्षेत्र, मालन, गरूड़गंगा, राईगाड़ (यक्षावती) आदि का पुनर्जनन व उपचार कार्य आदि | 5185.98 |
| 8. | वन एवं वन्यजीव संरक्षण संबंधी जागरूकता का संचार करने हेतु स्कूली छात्र छात्राओं को सम्मिलित करते हुए 2000 स्कूलों में ईको क्लबों की स्थापना | 200.00 |
| 9. | वन्यजीवों से सुरक्षा व मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत सोलर लाईट, कैमरा ट्रैप व अन्य उपकरणों का क्रय | 88.50 |
| 10. | प्राकृतिक पर्यावास सुधार कार्य हेतु 500 हे0 क्षेत्र में लैंटाना उन्मूलन कार्य | 213.55 |
| 11. | मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम के दृष्टिगत कॉर्बेट टाईगर रिजर्व में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर की स्थापना | 300.00 |
| 12. | बांज के वनों के संर्वधन हेतु सिल्वीकल्चर कार्य | 40.00 |
| 13. | उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बुग्यालों का संरक्षण | 95.00 |
| 14. | जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन | 7.50 |
| 15. | प्राकृतिक सहायतित पुनरोत्पादन (ए0एन0आर0) | 32.00 |
| | योग (एनपीवी का न्यूनतम 80%) – 88.83% | 16977.40 |
| एन0पी0वी0 का अधिकतम 20% | | |
| 16 | भराड़ीसैण में नेचर वन/ईको पार्क का निर्माण, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत बुग्याल संरक्षण एवं मूथूगाड़ रिवर पुनर्जनन हेतु प्राविधान। | 345.00 |
| 17 | वनों तथा वन्यजीवो के प्रति जनजागरूकता का संचार करने तथा जैवविविधता से संरक्षण के दृष्टिगत खिर्सू, लच्छीवाला, जयहारीखाल सिमतोला, हल्द्वानी, बुरांसखण्डा व रिखोली में नेचर वन/ईको पार्क का निर्माण | 517.00 |
| 18 | वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न वन प्रभागों में वन रक्षक चौकियों /वॉच टावरों का निर्माण (कुमांऊ एवं गढ़वाल जोन में 2–2 आधुनिक रेंज कार्यालय हेतु रु0 2.00 करोड़ की धनराशि सम्मिलित करते हुए) | 769.79 |



3/10/20

| | | |
|---|---|---|
| 19 | वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुचारू रूप से गश्त आदि किये जाने के दृष्टिगत वन मार्गों का रखरखाव कार्य | 501.20 |
| | योग (एनपीवी का अधिकतम 20%) – 11.16% | 2132.99 |
| | कुलयोग एनपीवी | 19110.39 |
| | वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की शर्तों के अनुसार अनिवार्य कार्य | |
| 20 | क्षतिपूरक वनीकरण को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण कार्य | 479.97 |
| 21 | कैट प्लानों का कियान्वयन | 802.20 |
| 22 | सौंग, जाखन तथा गौला नदियों में रिवर ट्रेनिंग कार्य | 550.00 |
| | योग अनिवार्य कार्य | 1832.17 |
| | महायोग | 20942.55 |

उपरोक्त पर समिति द्वारा गतिविधिवार चर्चा की गई, जिसमें विस्तृत विचारोपरान्त उक्त गतिविधियों को कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उपरोक्त गतिविधियों के सम्बन्ध में मुख्य–मुख्य गतिविधि/प्रस्तावों पर निम्नानुसार चर्चा हुई :–

1. उपरोक्त तालिका के क्र0सं0–1 में वन व वनाग्नि सुरक्षा के दृष्टिगत सीजनल रखे जाने वाले प्रहरियों को वनाग्नि प्रहरी के स्थान पर वन प्रहरी की तैनाती इस आधार पर की जानी है कि इनका उपयोग न केवल वनाग्नि की सुरक्षा अपितु वानिकी सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों में इनसे नियमित कार्मिकों के सहयोगार्थ सीजनली कार्य सम्पादित किए जाएंगे।
2. क्र0सं0–3 से 6 तक वन्यजीवों से खेती व जानमाल की सुरक्षा के दृष्टिगत सम्पादित कराए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में यह अवश्य देखा जाए कि इसमें संवेदनशील क्षेत्रों/ग्रामों को ही सम्मिलित किया जाए। चूंकि जंगली जानवरों यथा–हाथी, सुअर आदि के खेती में नुकसान पहुंचाए जाने एवं स्थानीय लोगों की फसल खराब होने के चलते लोग खेती के व्यवसाय पर कम ध्यान दे रहे हैं व साथ ही इससे पलायन भी हो रहा है। अतः इसमें आवश्यक/चिन्हित/संवेदनशील स्थलों पर ही कार्य कराए जाएं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा भी प्रदेश के अंतर्गत इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्रों के चिन्हित गांवों की सूची तैयार की गई है, उसको भी दृष्टिगत रखा जाय।

3/10/20

3. क्र0सं0–7 में प्रदेश के अंतर्गत मृतप्राय विभिन्न नदियों के पुनर्जनन व उपचार कार्यों तथा विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों को इस प्रकार सम्पादित किया जाए कि उनका आउटपुट के साथ–साथ आउटकम भी परिलक्षित हो।
4. क्र0सं0–16 व 17 में किए गये नेचर वन/ईको–पार्क के निर्माण सम्बन्धी प्राविधानों के सम्बन्ध में चर्चा की गई कि भारत सरकार द्वारा नेचर वनों के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण योजना तैयार की गई है, जिसमें उनके द्वारा सीमित धनराशि का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार अन्य विभिन्न स्थानों पर भी मा0 मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार कैम्पा निधि से धनराशि का प्राविधान किया जा रहा है।
5. क्र0सं0–18 में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रीय प्रभागों के अंतर्गत निर्मित की जाने वाली 2–2 वन रक्षक चौकियों के स्थान पर, अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन के स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर उनकी आ0ए0सी0 में लिए गये निर्णयानुसार 3 रेंज स्तर के कार्यालय व 2 रेंज स्तर के आवासीय भवन निर्मित किए जाने के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा निर्देश दिये गये। अतः आधुनिक रेंज कार्यालयों के निर्माण हेतु प्राविधानित रु0 2.00 करोड़ की धनराशि का उपयोग अनुसन्धान द्वारा प्राप्त प्रस्ताव, जिसमें 3 रेंज कार्यालय व 2 रेंज स्तर से आवासीय कार्यालयों हेतु किया जाएगा। इसके लिए अनुसन्धान वृत्त द्वारा शिफ्टिंग/निर्माण सम्बन्धी समस्त अनुमति/औपचारिकताएं समयान्तर्गत पूर्ण करनी होंगी।

कार्यकारी समिति द्वारा उपरोक्त पर सहमति उपरान्त वर्ष 2020–21 हेतु उक्तानुसार रु0 20942.55 लाख की अनुपूरक कार्ययोजना के प्रस्तावों हेतु संस्तुति प्रदान की गई, साथ ही इसे विधिवत संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।

**कार्यसूची कार्यकारी समिति 4.5: अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से:**

- पूर्व वर्षों की तुलना में इस वर्ष क्रियान्वयन अभिकरणों को कैम्पा कार्यों के सम्पादन हेतु समयान्तर्गत धनराशि अवमुक्त की गई है, अतः समस्त क्रियान्वयन अभिकरणों से अपेक्षा है कि धनराशि का समयान्तर्गत उपयोग किया जाए। सम्पादित कार्यों की समानान्तर एम0आई0एस0 प्रविष्टि पूर्ण की जाए।
- अनुसन्धान जोन के अंतर्गत वही कार्य सम्मिलित किए जाएं जो कि क्षेत्रीय प्रभागों अथवा सिविल सोयम वन प्रभागों में न किए जा रहे हों, अर्थात् अनुसन्धान सम्बन्धी गतिविधियों को ही इसमें सम्मिलित किया जाए।

3/10/20

- क्षतिपूरक वनीकरण में जहां पर असामान्य स्थिति हो, वहां पर ए0एन0आर0 मोड के अंतर्गत ही कार्य सम्पादित कराए जाएं।
- पूर्व के वर्षों में किए गये सोलर/इलैक्ट्रिक फेन्सिंग का कार्य सराहनीय है, किन्तु इसमें costing अधिक आ रही है, अतः इसमें यथासम्भव दो तार वाली अथवा एक तार वाली जो भी effective technique हो, अपनाई जाए, जिससे यह कार्य सीमित धनराशि के अंतर्गत भी सम्पादित हो सके।
- मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए बन्दरबाड़ा एक अच्छा concept है। इसमें उत्कृष्ट कार्य किया जाना अपेक्षित है। बन्दरबाड़े हेतु विस्तृत प्रस्ताव सम्बन्धित वन प्रभाग अपने नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से पूर्ण परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव को समयान्तर्गत उपलब्ध करवाएं।
- कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित किये जाने वाले/जा रहे समस्त कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं कैम्पा अधिनियम, 2016 तथा इसके क्रम में निर्गत कैम्पा नियमावली, 2018 में निहित प्राविधानों के अंतर्गत ही सम्पादित किए जाएं।

अन्त में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अध्यक्ष–कार्यकारी समिति एवं समस्त उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की गई।

3/10/20

(जे०एस० सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

अनुमोदित

05/10/2020

(जय राज)
प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं
अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा

उत्तराखंड प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (उत्तराखंड कैम्पा)
(प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (2016 का 38) की धारा 10(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित)
वन मुख्यालय, 85–राजपुर रोड, देहरादून टेलीफैक्स : 0135–2744077 ई–मेलः ceocampa-forest-uk@nic.in /ceoukcampa@gmail.com
web site- www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 630 /का0स0 (4) दिनांक, देहरादून, अक्टूबर 05, 2020

**प्रतिलिपि :–** कार्यकारी समिति के निम्न मा0 सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. नोडल अधिकारी, राज्य वन विकास अभिकरण (प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत) एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. नोडल अधिकारी–वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसन्धान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
5. अपर सचिव–वन एवं पर्यावरण/वित्त/नियोजन/ग्राम्य विकास/राजस्व/कृषि/जनजाति विकास/पंचायती राज/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
6. वित्त नियंत्रक, वन विभाग एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री एस0टी0एस0 लेप्चा, सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. प्रतिनिधि–हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, देहरादून, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. प्रतिनिधि–उज्जवला, कोटद्वार मालिनी मार्केट, कोटद्वार, गैर सरकारी संगठन एवं सदस्य–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।

(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 630 (1)/ का0स0(4) उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपिः प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष–कार्यकारी समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।

पत्रांक– 630 (2)/ का0स0(4) उक्त दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक (कुमांऊ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।

(जे.एस. सुहाग)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखंड कैम्पा।